उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-149/2021/ 2146/30-3-21-12जीई/2011
लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर 2021

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015वे०आ०-2-190/दस-62(एम)/2008टीसी-1, दिनांक 03.03.2015, शासनादेश संख्या-50/2015-वे०आ०-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26.08.2015, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-373/दस-62(एम)/2008टीसी-1, दिनांक 04.07.2019, शासनादेश संख्या-4/2019/13(2) 2017/क-1-2019, दिनांक 27.09.2019 एवं शासनादेश संख्या-6/2019/वे०आ०-2-729/दस-2019-ई(एम) /2008टीसी, दिनांक 04.11.2019 की व्यवस्थान्तर्गत दिनांक 25.06.2021 को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित परिवहन आयुक्त संगठन के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्तम्भ-4 में अंकित ग्रेड वेतन का लाभ स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम सर्वश्री :	देय ए०सी०पी०	अनुमन्य ग्रेड वेतन	ए०सी०पी० देयता की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री मुखलाल चौरसिया, उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय	तृतीय	8700/-	दिनांक 27.12.2019 से 30.06.2020 तक
2.	श्री राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी, मिर्जापुर सम्प्रति उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय	तृतीय	8700/	दिनांक 01.01.2020 से 24.03.2021 तक

ह०/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-149/2021/2146/30-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) संबंधित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ।
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in